

# फर्द अहकाम

Acry डायरेक्टो जयपुर

बंशोध्य बनाम कमलेश

क्र. नं. 62/20/16

दिनांक आझा या कार्यवाही आझा विस्तृत रूप से विशेष विवरण

पेश की है कि अतः अग्रणी 3 ता 6 8, 9, 11 ता 14, 17, 18 का जवाब देना किपा जाता है। अग्रणी संख्या 1, 2, 10 15, 16 को अंत से पूर्व जवाब पेश हो चुका है। अतः परावली वाले अंतिम बहस हेतु दिनांक 16/6/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

16/6/2022

परावली पेश करी व.फ.03प.0। उपपक्ष अधिवक्तागण को बहस सुनी गई। परावली का अवलोकन किपा गया। ता. तकासेम से संबंधित है जिसमें बारी, फीतवागी के अधिकार तप होगे। साथ जवाब प्र.प. का अवलोकन किपा। प्रथम दूरस्था प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूरकीप प्रति अग्रणी के पक्ष में उतीत होती है। अतः उपपक्ष को ता-फैसला ता. पाब-ड किपा जाता है कि विवाहित भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.96 है, 94/847 रकबा 0.17 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 हेक्टर। बकि शाह बैनाड मद्र दौलतपुरा तहसील आमेर में मौके एवं रिकॉर्ड की प्रस्थापित कतापे रखे। परावली फैसला शुभा होका संलग्न प्रलवा. हो।

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर